संख्या-48/2026/559/22-4-2026-2009307

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 11 अगस्त, 2026**

विषय:-जनपद कानपुर नगर में नवीन जिला कारागार (2030 बन्दी क्षमता) के निर्माण की प्रायोजना एवं लागत धनराशि रू0 38405.40 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर महानिरीक्षक (प्र0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-22276/नम-1/जि0का0 कानपुर नगर/2026, दिनांक 09.06.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद कानपुर नगर में नवीन जिला कारागार (2030 बंदी क्षमता) के निर्माण कराए जाने हेतु सम्पूर्ण प्रायोजना एवं लागत की धनराशि रूपये 38405.40 लाख की शासनादेश संख्या-04/22-4-2026-2009307, दिनांक 05.06.2026 द्वारा निर्गत प्रशासकीय स्वीकृति के अनुक्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रायोजना की लागत का 35 प्रतिशत धनराशि रूपये 13441.890 लाख (रुपये एक अरब चौंतीस करोड़ इकतालीस लाख नवासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप महानिरीक्षक, कारागार द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(4) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना पी0एफ0ए0डी0 के पूर्व अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

(5) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। महानिरीक्षक, कारागार परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में निहित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा शासनादेश दिनांक 26.08.2014 एवं दिनांक 15.06.2018 के अनुसार परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(10) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(11) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए।

(12) यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं उनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक है, क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें।

(13) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।

(14) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के नवीनतम शासनादेश दिनांक 17.05.2023 एवं दिनांक 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा मूल स्वीकृत लागत के सापेक्ष निविदा की धनराशि के पश्चात् अवशेष धनराशि से प्राप्त ब्याज आदि की धनराशि का नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना की भौतिक प्रगति, धनराशि अवमुक्त तथा सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर दर्ज किये जाने आदि के संबंध में नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 में निहित प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा पी0एफ0ए0डी0/व्यय वित्त समिति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2027 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(19) व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 03.01.2025 में बंदी क्षमता 1056, 2150 एवं 3162 हेतु नवीन जिला कारागार का मानकीकरण किया गया है। प्रायोजनान्तर्गत जनपद कानपुर नगर में नवीन जिला कारागार बंदी क्षमता 2030 हेतु प्रस्तावित है। विभागीय आवश्यकतानुसार उक्त मानकीकरण को rationalise करते हुए 2030 बंदी क्षमता हेतु प्रायोजना प्रस्ताव आगणन का गठन किया गया है। महानिरीक्षक, कारागार द्वारा व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 03.01.2025 में मानकीकृत बंदी क्षमता (1056, 2150 एवं 3162) के अतिरिक्त विभागीय आवश्यकतानुसार अन्य बंदी क्षमताओं हेतु भी जिला कारागारों का मानकीकरण कराया जाना समीचीन होगा।

(20) प्रायोजनान्तर्गत समिति द्वारा सुपरविजन चार्ज हेतु अनुमोदित लागत में यदि भविष्य में कोई परिवर्तन होता है, तो उस दशा में सम्बन्धित प्रायोजना हेतु तकनीकी सेल, ई०पी०सी० मिशन, नियोजन विभाग द्वारा PMC हेतु निर्गत Letter of Acceptance में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अधीन सुपरविज़न चार्ज हेतु वास्तविक धनराशि देय होगी।

(21) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(22) महानिरीक्षक, कारागार/कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनाँक 22 मार्च,2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रायोजना की सक्षम स्तर से नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(23) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई,2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।

(24) महानिरीक्षक,कारागार द्वारा प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा तथा इस मद में वास्तविक व्यय ही देय होगा।

(25) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। महानिरीक्षक, कारागार का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही महानिरीक्षक, कारागार का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (consumed) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/ग्रिट/मौरंग इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर,2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(26) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश संख्या-5/2021/File No 65-2013/2/2019-2 दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी /बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार महानिरीक्षक, कारागार/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(27) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल/ऑडिट का प्रावधान किया गया है। अतः थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल/ऑडिट हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2/2026/ए-2-आई/1172817/2025/दस-2025, दिनांक 02 जनवरी, 2026 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(28) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,34,41,89,000 (रुपये एक अरब चौंतीस करोड़ इकतालीस लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 025 लेखा शीर्षक 4070008000800 कारागारों का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-**E-12-107-X-2026-27**, दिनांक: **11.08.2026** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-48/2026/559(1)/22-4-2026-2009307, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
(6) कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर।
(9) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।